कार्यालय कलेक्टर, जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़)

//सार्वजनिक सूचना//

क्रमांक /8624/भू–अर्जन / 19 / 2020 धमतरी दिनांक 24/09/2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की भखारा–सुपेला मार्ग निर्माण हेतु **ग्राम–सुपेला, तहसील–कुरूद, जिला –धमतरी** स्थित निजी भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016" के प्रावधानों के तहत् नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि को कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रायपुर के पक्ष में क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

भूमि का विवरण					
भूमिस्वामी का नाम	ग्राम/ प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	आपसी सहमति से क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा	प्राधिकृत अधिकारी
1	2	3	4	5	6
गौकरण पिता संतराम	सुपेला /07	410/3	0.12 हेक्टेयर	0.0100 हेक्टेयर	कलेक्टर जिला धमतरी

02– यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

कलेक्टर
जिला धमतरी

पृ.क्रमांक 8625/भू–अर्जन / 19 / 2020 धमतरी, दिनांक 24/09/2020

प्रतिलिपि :–

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी कुरूद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रायपुर को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की मूल प्रति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला धमतरी को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट एवं स्थानीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. तहसीलदार कुरूद, तहसील कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल में प्रकाशन हेतु।

(9)

कलेक्टर
जिला धमतरी

Scanned by TapScanner